

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2019

जयपुर, दिनांक : 25.02.2019

आदेश


विभाग के संमसंख्यक आदेश दिनांक 09/10.01.2019 के द्वारा मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 4281/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 13.12.2018 की पालना में मा. अधिकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा. महेन्द्र सिंह जाखड, चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागीडोरा, बांसवाडा में कार्यग्रहण करवाये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी, में आंशिक संशोधन करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागीडोरा, बांसवाडा के स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गलियाकोट, डूंगरपुर संशोधित कर पढा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 4281/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 13.12.2018 को शीघ्र वैकैट कराये जाने की कार्यवाही करावें।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर/बांसवाडा
5. संबंधित अधिकारी
6. कम्प्यूटर सेल
7. निजी /रक्षित पत्रावली


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव